

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ संकल्प ॥

पटना-15, दिनांक-20.7.2012

विषय:- शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज हेतु विशेष अनुमति प्रदान किये जाने के संबंध में।


मुस्लिम सरकारी सेवकों को ब्रिटिश काल से ही शुक्रवार के दिन दोपहर में जुमे की नमाज मस्जिदों में सामूहिक रूप से अदा करने हेतु कार्यालय से अनुपस्थित रहने की विशेष अनुमति प्राप्त है। उक्त अनुपस्थिति की अनुमति की अवधि में परिवर्तन हेतु जनशिकायत के माध्यम से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत राज्य सरकार द्वारा मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को जुमे की नमाज मस्जिदों में सामूहिक रूप से अदा करने हेतु कार्यालय से अनुपस्थित रहने की अनुमति की अवधि में निम्नवत् परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है:-

- (1) मुस्लिम सरकारी सेवक प्रत्येक शुक्रवार को 12:30 अपराह्न से 2:30 अपराह्न तक की अवधि का उपभोग जुमा की नमाज अदा करने हेतु कर सकेंगे।
- (2) चूंकि इसी अवधि में भोजनावकाश की अवधि भी निर्धारित है अतः ऐसे सरकारी सेवकों को अलग से भोजनावकाश अनुमान्य नहीं होगा।
- (3) शिक्षण संस्थानों एवं गैर सरकारी संस्थानों में जुमे की नमाज हेतु इस प्रकार की विशेष अनुमति संबंधित संस्थानों के सक्षम प्राधिकारों द्वारा दिया जा सकेगा।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण संस्थान(बिपाई)/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी शिक्षण संस्थानों को उपलब्ध करायी जाए।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(नवीन चन्द्र झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं०-3/ज.शि.-04/2012सां०प्र०...../पटना-15, दिनांक 20 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञाप सं०-3/ज.शि.-04/2012सा०प्र०.....¹⁰²⁹⁸पटना-15, दिनांक 20 जुलाई, 2012

प्रतिलिपि- सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/बिहार लोक सेवा आयोग/बिहार कर्मचारी चयन आयोग/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/बिहार लोक प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान(बिपार्ड), वाल्मी परिसर, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव। 20.7.12